



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, वाराणसी

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, VARANASI

(गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चन्दौली, सन्तरविदास नगर)

दर्भ सं०

ef. 1220/15-16

दिनांक

Date. 19-12-15

सेवा में,

प्रमारी अधिकारी (शस्त्र),
कृते जिला मजिस्ट्रेट,
जौनपुर।

विषय:- मे० भारत पेट्रोलिय कार्पोरेशन लि०, वाराणसी रिटेल टेरिटरी कार्यालय, मुगलसराय, चन्दौली द्वारा आराजी नं०-802/02, ग्रा०-कोदहू, तहसील-मछलीशहर, थाना-मुगराबादशाहपुर, जनपद-जौनपुर पर रिटेल अउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अनापत्ति के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या - /व००१०लि०-जौनपुर दिनांक-11, दिसम्बर 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के माध्यम से मेसर्स भारत पेट्रोलिय कार्पोरेशन लि०, वाराणसी द्वारा आराजी नं०-802/02, ग्रा०-कोदहू, तहसील-मछलीशहर, थाना-मुगराबादशाहपुर, जनपद-जौनपुर पर रिटेल अउटलेट (पेट्रोल पम्प) खोलने हेतु स्पष्ट अभिमत की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बंध में अवगत कराना है कि परिक्षणोंपरांत यह पाया गया कि मेसर्स भारत पेट्रोलिय कार्पोरेशन लि०, वाराणसी द्वारा आराजी नं०-802/02, ग्रा०-कोदहू, तहसील-मछलीशहर, थाना-मुगराबादशाहपुर, जनपद-जौनपुर पर रिटेल अउटलेट (पेट्रोल पम्प) पर 15 के०एल० एम.एस. क्लास 'ए' क्षमता के भूमिगत टैंक तथा 20 के०एल० एच०एस०डी० क्लास 'बी' क्षमता के भूमिगत टैंक भण्डारण की स्थापना के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बोर्ड को कोई आपत्ति नहीं है। बशर्त कि परिसंकटमय रसायन (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1989 की उपविधियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। परिसर से प्रदूषित उत्प्रवाह का निस्तारण नहीं होगा तथा जनरेटर पर एकारिस्टिक इन्कलोजर की व्यवस्था की जायेगी। उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र अन्य वांछित अनुमतियों को नहीं प्रभावित करेगा।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ० मो० सिकन्दर)
क्षेत्रीय अधिकारी

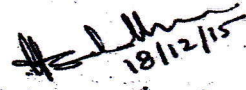
मे० भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, वाराणसी रिटेल टेरिटरी कार्यालय, मुगलसराय, चन्दौली द्वारा
आराजी नं०-802/02, ग्रा०-कोदहू, तहसील-मछलीशहर, थाना-मुगराबादशाहपुर,
जनपद-जौनपुर पर रिटेल अउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अनापत्ति के सम्बंध में
निरीक्षण आख्या-

नगर मजिस्ट्रेट/प्र० अ० (शस्त्र) कृते जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर के पत्र संख्या
/व००श०लि०-जौनपुर दिनांक-11 दिसम्बर, 2015 के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त
करने के संदर्भ में उक्त प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक-
17.12.2015 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री सिद्धेश्वर नाथ गुप्ता पेट्रोल पम्प के
प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। उक्त रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) आराजी
नं०-802/02, ग्रा०-कोदहू, तहसील-मछलीशहर, थाना-मुगराबादशाहपुर, जनपद-जौनपुर पर
स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित स्थल के चारों दिशाओं की स्थिति निम्नवत्
है-

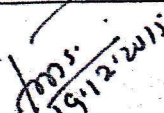
पूरब दिशा-	प्रस्तावित पेट्रोल पम्प की बाउण्ड्री से सटा हुआ खाली प्लाट।
पश्चिम दिशा-	प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के सामने गोरखपुर-इलाहाबाद स्टेट हाइवे।
उत्तर दिशा-	कृषि योग्य जमीन है।
दक्षिण दिशा-	कृषि योग्य जमीन है।

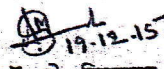
स्थल के चारों दिशाओं में 01 कि०मी० त्रिज्या के भीतर कोई भी ज्वलनशील पदार्थों
का भण्डारण स्थल नहीं है। पर्यावरणीयदृष्टिकोण से बोर्ड को कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर
प्रस्तुत है।


(अफजल अंबरार)
वैज्ञानिक सहायक

सहा० वैज्ञा० अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय


19/12/2015


19.12.15
डॉ० मो० सिकन्दर
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
वाराणसी